संख्या-39/2020/990/86-2020-52(सा0)/2019टीसी

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/समस्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 23 जून 2020

विषयः कार्यदायी संस्थाओं को आपूर्तित उपखनिजों पर देय रायल्टी के भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-115/86-2020-52(सा)/2019 दिनांक 15.01.2020 एवं ततक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-847/86-2020-52(सा0)/2019टीसी दिनांक 06.06.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ठेकेदारों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को आपूर्तित उपखनिजों पर राज्य सरकार को देय रायल्टी का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश द्वारा निम्न व्यवस्था अपनाये जाने के निर्देश दिये गये है :-

(1). कार्यदायी संस्थाओं में ठेकेदारों के प्रस्तुत बिलों से प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा के सापेक्ष देय रायल्टी (उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 की अनुसूची-1 के अनुसार) की कटौती कर उसे कार्यदायी विभाग अपने खाते में आरक्षित करेंगे।

(2). कार्यदायी संस्थाओं में प्रयुक्त उपखनिजों के सम्बन्ध में ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत परिवहन प्रपत्रों का सत्यापन कार्यदायी संस्था द्वारा उस जनपद के खान अधिकारी/खान निरीक्षक से कराया जायेगा, जहॉ कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य किया गया है/कराया जा रहा है। परिवहन प्रपत्रों के उक्तानुसार सत्यापन की कार्यवाही किए जाने के उपरान्त परिवहन प्रपत्र वैध/सही पाए जाने पर ठेकेदार के बिल से रायल्टी के मद में कटौती की गयी धनराशि उसे वापस कर दी जायेगी। परिवहन प्रपत्र के सत्यापन के उपरान्त उसे त्रुटिपूर्ण/अवैध पाये जाने पर रायल्टी मद में कार्यदायी संस्था द्वारा काटी गयी धनराशि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी तथा ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(3). खनिज विभाग द्वारा परिवहन प्रपत्रों के सत्यापन के उपरान्त परिवहन प्रपत्र को अपने पोर्टल पर चिन्हांकित कर फ्लैग किया जायेगा, ताकि एक ही परिवहन प्रपत्र अलग-अलग कार्यदायी संस्थाओं में उपयोग न किया जा सके।

(4). उक्त प्रक्रिया समयबद्ध ढ़ग से पूर्ण किये जाने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में प्रस्तुत परिवहन प्रपत्रों का सत्यापन अधिकतम 07 दिन के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदारों के बिलों से कटौती की गयी धनराशि में से अवैध परिवहन प्रपत्रों से सम्बन्धित धनराशि को अधिकतम् 15 दिन के अन्दर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखाशीर्षक ''0853-अलौह'' खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क-01 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क'' में हस्तान्तरित कर सम्बन्धित जिलाधिकारी को अवगत करा दिया जायेगा।

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सुनिश्चित न कराये जाने के कारण, उपखनिजों से राज्य सरकार को अपेक्षित राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इसके अतिरिक्त कतिपय ठेकेदारों द्वारा कार्यदायी संस्था में कूटरचित ई एम0एम0-11, जैसे

http://shasanadesh.up.nic.in

ई एम0एम0-11 की छायाप्रति /फोटोशाप/फर्जी पोर्टल से जनरेट ई एम0एम0-11 बिलों के भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जा रहे है, जो गम्भीर प्रकरण है।

3. उक्त के सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रशासकीय विभागों के स्तर से उनके नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्षों, जिनके द्वारा शासकीय निर्माण कार्य किये जाते है, को इस आशय के निर्देश अविलम्ब निर्गत किया जाये कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों की देय रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के पश्चात् ही ठेकेदारों का भुगतान किया जाये। निर्माण कार्य के लिये प्रयुक्त/आपूर्ति उपखनिज पर देय रायल्टी का यदि कार्यदायी संस्था/विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ठेकेदार से भुगतान सुनिश्चित कराये बिना प्रश्नगत उपखनिज के बिल का अन्तिम भुगतान कर दिया जाता है अथवा इसे ससमय राजकीय कोष में जमा नही किया जाता है, तो निहित सरकारी राजस्व की हानि हेतु सम्बन्धित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु अपने अधीनस्थ कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,
(डा0 रोशन जैकब)
सचिव,

संख्याः 990(1)/86-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्यो के लिये प्रयुक्त/आपूर्ति उपखनिज के सम्बन्ध में ठेकेदारों द्वारा कार्यदायी संस्था/विभाग में प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों का भुगतान किये जाने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित उपखनिज पर देय रायल्टी की धनराशि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक में कार्यदायी संस्था द्वारा जमा करा ली गयी है।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in